FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत....सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]............... मुकाम...........................

.......उदाराम वगैरा..........बनाम ....खाई देवी वगैरा.........

किस्म मुकदमा.....रा० आवेदन 111, 128 RLR ..... नं. ......278/21...... सन्......2021.......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/09/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ......जगदीश गोदारा...... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ......111, 128 RLR...... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ......23/11/2021...... को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
23/11/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फरद तामील अप्राप्त। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल लिखवा होकर आगामी दिनांक 24/01/2022 को पेश हो। [signature]	
24/01/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण [illegible] अनुपस्थित। न्यायालय [illegible] लगाई गई अन्तिम आवाज [illegible] लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी [illegible] अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। लिहाजा विप्रार्थी[illegible] के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 16/02/2022 को पेश हो। [signature]	

सहायक कलक्टर

(SDO) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:05 IST
Reason: SelfAttested

16/02/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित / विपार्थीगण अनुप०।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपार्थीगण के खातेदारी खेत सैंवा मौके मिले हुए हैं। खेतों के मध्य जो पुरानी मेडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के मेडो को लेकर प्रार्थी व विपार्थीगण के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइशबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकरवाकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 49

दिनांक:– 16/02/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. उदाराम पुत्र लूणाराम वगैरा 04, जाति सांसी, निवासी जाखड़ा, पटवार मण्डल जाखड़ा, तहसील गिडा जिला बाड़मेर

1. धाई देवी पत्नी खेतसिंह वगैरा 20, जाति जाट, निवासी पांचा की ढाणी, पटवार मण्डल हीरा की ढाणी, तहसील गिडा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 278 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – पांचा की ढाणी, पटवार मण्डल – हीरा की ढाणी, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 439 / 398 रकबा 12.1406 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO) बायतु

दिनांक:– 16/02/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 50-54

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का हीरा की ढाणी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री उदाराम पुत्र लूणाराम वगैरा 04
4. विप्रार्थी श्री धाई देवी पत्नी खेतसिंह वगैरा 20
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.14 13:03:05 IST
Reason: SelfAttested